लय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./07/2020

1. देवीलाल पुत्र गोकल जाति खाती निवासी बुबकियां तहसील भिनाय अजमेर
2. गोपाल पुत्र गोकल जाति खाती निवासी बुबकियां तहसील भिनाय अजमेर
3. रतनलाल पुत्र गोकल जाति खाती निवासी बुबकियां तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजू पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी रेण का झोपड़ा तहसील भिनाय अजमेर
2. सम्पत पुत्र बालूराम जाति खाती निवासी बूबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम जाति खाती निवासी बूबकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. सीयाराम पुत्र श्री बरदा जाति जांगिड़ निवासी बुबकिया हाल बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय अजमेर
5. राधेश्याम पुत्र श्री बरदा जाति जांगिड़ निवासी बुबकिया हाल निवास बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. वकील अप्रार्थी– सुनील वैष्णव
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 12.11..2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 70 में दर्ज ख0न. 2344 रकबा 0.90, ख.न. 2412 रकबा 1.09, ख0न. 2413 रकबा 1.16, ख.न. 2691/2411 रकबा 0.17 और ख.न. 2693/2343 रकबा 0.43 कुल किता 05 कुल रकबा 3.75 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 06 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 03 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर अप्रार्थीगण सं0 01 लगा0 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि अप्रार्थीगण सं0 04 लगा0 05 द्वारा उक्त आराजी ख0न0 की नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाने पर अपनी अनापत्ति प्रकट की। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण सं0 04 लगा0 05 द्वारा उक्त आराजी ख0न0 की नियमानुसार पत्थरगढी की जाने पर अपनी अनापत्ति प्रकट की। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम बुबकिया का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 70 में दर्ज ख0न. 2344 रकबा 0.90, ख.न. 2412 रकबा 1.09, ख0न. 2413 रकबा 1.16, ख.न. 2691/2411 रकबा 0.17 और ख.न. 2693/2343 रकबा 0.43 कुल किता 05 कुल रकबा 3.75 है0** प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक भिनाय को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(मर्यादा शर्मा)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
तालु[illegible] विधिक सेवा समिति
[illegible] जिला–अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत

Scanned with CamScanner